न्यायालय–महेन्द्र मिश्रा, अवर न्यायाधीश–द्वितीय, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–168/2014

सी0आई0एस0 सं0–174/2018

ध्रुव चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेख नवाब एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.06.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 23.11.2021 अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14(3) व धारा 151 व्य0प्र0सं0 के तहत दाखिल किया गया। अभिलेख आज दिनांक 04.06.2026 को वादीगण के आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण की गवाही के उपरान्त प्रतिवादीगण की गवाही चल रही है। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के मुआयना करने पर पता चला कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों शेख जुनाब वो शेख जुमन पेसरान शेख रामजान व शेख शहाबुद्दीन वल्द शेख दुखी व ठग वल्द शेख रोजी के नाम का हाल सर्वे खतियान न दाखिल किया गया है और न उसे प्रदर्श अंकित कराया गया है। हाल सर्वे खतियान के खाता सं0–47 जो शेख जुनाब व शेख जुमन के नाम पर दर्ज है उसके खेसरा नं–716 में बेलगान घराड़ी दर्ज है व कुल खतियानी रकबा–5 बिगहा 8 कठा 18 धुर दर्ज है। उसी तरह खाता नं0–120 जो शेख शहाबुद्दीन व शेख ठग वगैरह के नाम पर दर्ज है। इस खाता के खेसरा नं0–684, 685, 787 व 788 में कुल बेलगान घराड़ी रकबा 2 कठा 8 धुर दर्ज है। वादी साक्षी सं0–01 ने अपने नालिश व गवाही में उपरोक्त खतियान में वर्णित खाता–खेसरा का वर्णन किया है जिसपर प्रतिवादीगण का अपना पुश्तैनी मकान है। उपरोक्त खतियान की ली गई प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्श अंकित कराना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के गवाही को पुनः खोलने व सर्वे हाल खतियान को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 11.05.2026 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादीगण का आवेदन कानून वो तथ्य के दृष्टिकोण से खारिज होने योग्य है। वादी का साक्ष्य समाप्त हो गया है और प्रतिवादी साक्ष्य चल रहा है। इस दृष्टिकोण से भी वादी के तरफ से प्रस्तुत कागजी साक्ष्य न तो ग्रहण किया जा सकता है वो न प्रदर्श अंकित किया जा सकता है। वादी का आवेदन अस्पष्ट, अधुरा एवं कारण विहीन	

<u>न्यायालय–महेन्द्र मिश्रा, अवर न्यायाधीश–द्वितीय, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–168/2014</u>

<u>सी0आई0एस0 सं0–174/2018</u>

ध्रुव चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेख नवाब एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार **04.06.2026**	होने के कारण स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का उपरोक्त आवेदन विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 23.11.2021 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया है कि वादीगण के गवाही को पुनः खोलने व सर्वे हाल खतियान को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने का आदेश देने की कृपा करें। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 23.11.2021 को मो0–300/– रू0 हर्जे की राशि पर स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 17.06.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–द्वितीय नरकटियागंज	